

उत्तर रेलवे  
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,  
बड़ौदा हाउस,  
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/85

प. सं. 433-ई/6 सी. पी. सी./Leave/09/E-IV

दिनांक 24/03/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष  
सनस्त मण्डल रेल प्रबन्धक  
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय  
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Implementation of recommendations of the Sixth  
Central Pay Commission regarding half pay leave  
facilities to Teachers, Principals, Headmasters,  
Librarians, Laboratory Assistants and Watermen  
working in Railway schools.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 दिनांक 08/3/2009  
(आर.बी.ई.सं.46/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI No.96 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय का पत्र दिनांक 11.12.1981 तथा दिनांक  
04.12.1992 की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 7964 तथा 10712 के अन्तर्गत भेजी जा चुकी हैं।

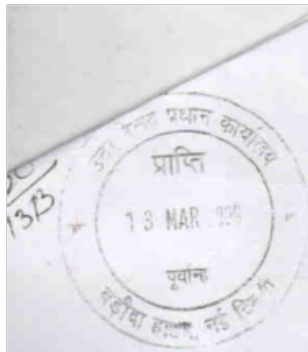
सलग्न/यथावत

(Om Prakash)

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र. का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएनयू, 12 ट्रेन्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, ओआरओजाओ/ओजओजाओ रेल कर्मचारी संगठन सी-18 क रेलवे कालानो  
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, ओमओजओपिओओ रेल कर्मचारी संगठन 171/इ/3 बसंत जैन नई दिल्ली।



भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI/ 85  
आर बी ई सं. 46/2009

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/सीपीसी/एलई-10

नई दिल्ली, दिनांक 06.03.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

मु. का. आधि. प्रशा. (अतिरिक्त)  
उप. मु. का. आधि. आर. (अतिरिक्त)

विषय: रेलवे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों और वॉटरमैन को अर्द्ध वेतन छुट्टी की सुविधाओं के संबंध में छूटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का 11.12.1981 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) I-81/सीपीसी/एलई-8 और 04.12.1992 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) I-92/सीपीसी/एलई-3

\*\*\*\*\*

छूटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी को यह निर्णय करते हुए प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय के 11.12.1981 के पत्र सं. ई (पी एंड ए) I-81/सीपीसी/एलई-8 के अतिरिक्त 1 वर्ष के दौरान 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी के स्थान पर 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी की सुविधा उदारीकृत छुट्टी नियम, 1949 के नियम 526 के उपबंधों के अंतर्गत अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही, रेलवे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों और वॉटरमैन को पुनः बहाल की जाएगी।

2. ये आदेश 01 सितंबर 2008 से प्रभावी होंगे।

3. भा.रे.स्था.सं. वॉल्यूम-I के नियम 525 और 526 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जाएंगे।

(धर्मपाल)

उप निदेशक स्था. (पी एंड ए) II,  
रेलवे बोर्ड

31V

ESST-E (PRAH)

ED-163-09

RB-21/10/09

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 85

RBE No. 46/2009

No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-10

New Delhi, dt. 6-03-2009

The General Managers/CAOs  
All Indian Railways and Production Units.

**Sub:** Implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding half pay leave facilities to Teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Railway schools

**Ref:** Railway Board's letter No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8 dated 11.12.81 and E(P&A)I-92/CPC/LE-3 dated 04.12.92.

\*\*\*\*\*

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, the President is pleased to decide that, in supersession of Ministry of Railways' letter No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8 dated 11.12.81, the facility of 20 days half pay leave in lieu of 10 days leave on average pay during a year, will be restored to Teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Railway schools, at par with other railway employees under the provisions of Rule 526 of the Liberalized leave rules, 1949.

2. These orders shall take effect w.e.f. 1st September, 2008.
3. Formal amendments to Rule 525 and 526 of IREC Vol.I will be issued separately.

*Dharam Pal*  
(Dharam Pal)

Deputy Director Estt.(P&A)II,  
Railway Board

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-10

New Delhi dated 06 .3.2009

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi( with 40 spares).

*[Signature]*

for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-10

New Delhi dated .3.2009

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.

*Dharam Pal*  
(Dharam Pal)

Deputy Director Estt.(P&A)II,  
Railway Board

...2/-